न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम संख्या 79/2023(GCMS 2023/109)

राज्य सरकार जरिये राकेश सोनी–जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री भूप सिंह पुत्र भंवराराम निवासी मलकीसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर (मोबाईल नं. 81070–43194)

07.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी भूपसिंह की ओर से श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र पाल उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास को सुना गया।

संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है:

स्टेट की ओर से श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 16.05.2023 को रात्रि गश्त व सूचना अनुसार समय 9:30 बजे गांव बनवाली तहसील सादुलशहर में 01 सफेद पिकअप गाड़ी संख्या आरजे 13/जीबी 7225 को गांव बनवाली मेन बाजार में जांच हेतु रोका गया। पकड़े गये वाहन में 11 बड़े प्लास्टिक ड्रम क्षमता प्रति ड्रम 250 लीटर के तथा 01 छोटा गेलन क्षमता 35 लीटर का रखा पाया गया। मौके पर वाहन में उपस्थित व्यक्ति भूप सिंह पुत्र भंवराराम ने स्वयं को वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7225 का चालक बताया। वाहन चालक भूपसिंह पुत्र भंवराराम से वाहन में रखे ड्रमों के बारे में पूछने पर उसने ड्रमों व गेलन में पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना बताया। **वाहन चालक भूपसिंह पुत्र भंवराराम ने यह पेट्रोलियम पदार्थ मै. शेरगढ़ फीलिंग स्टेशन, शेरगढ़ [illegible] रोड गावं शेरगढ से खरीदकर लाना बताया। श्री भूपसिंह [illegible] 1400–1400 लीटर कुल 2800 लीटर के दिखाये जो पेट्रोल पंप शेरगढ़ फीलिंग स्टेशन शेरगढ़ [illegible]ग्राम खेडा रोड गांव शेरगढ से जारी थे,** जिनका बिल नं. 9450 व 9452 दिनांक 16.05.2023 दर्शाया हुआ था। मौके पर छोटे गेलन में पाये गये पेट्रोलियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पदार्थ के संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच देर रात्रि व अंधेरे के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु वाहन सं. आरजे 13 जीबी 7225 को जब्त कर गांव बनवाली तहसील सादुलशहर के उचित मूल्य दुकानदार जयपाल पुत्र मनीराम चक 06 बीएनडब्ल्यू को सुपुर्दगी में दिया गया। दिनांक 17.05.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु मय प्रवर्तन स्टाफ गांव बनवाली तहसील सादुलशहर के उचित मूल्य दुकानदार जयपाल पुत्र मनीराम के आहते में पहुंचे। मौके पर गत रात्रि जब्त किये गये वाहन सं. आरजे 13 जीबी 7225 मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 01 छोटा गेलन व समस्त पेट्रोलियम पदार्थ सुरक्षित रखा पाया गया। पकड़े गये वाहन मे रखे 11 प्लास्टिक ड्रमों की जांच में तरल पदार्थ को सूंघने व देखने में पेट्रोलियम पदार्थ डीजल जैसी गंध होनी पायी गयी। भौतिक सत्यापन में कुल 11 ड्रमों में 2730 लीटर इन प्लास्टिक ड्रमों में होना पाया गया। मौके पर वाहन में पाये गये एक छोटा गेलन पेट्रोलियम से भरा पाया गया। भौतिक सत्यापन पर एक छोटे गेलन में कुल 35 लीटर पेट्रोल होना पाया गया। इसके अतिरिक्त वाहन के ईंधन टैंक में उपलब्ध डीजल नहीं मापा जा सका। पकड़े गये वाहन चालक द्वारा 2800 लीटर डीजल का बिल दिखाया गया व वास्तव में 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोलियम होना ही पाया गया। जो कि केन्द्र सरकार के आदेश पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2 (आई) का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री भूप सिंह पुत्र भंवराराम निवासी मलकीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर से बरामद 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक ड्रम, एक छोटा गेलन व एक पिकअप वाहन आरजे 13 जीबी 7225 को जब्त कर श्री जयपाल पुत्र मनीराम चक 06 बीएनडब्ल्यू गांव बनवाली तहसील सादुलशहर (उचित मूल्य दुकानदार) को सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा तैयार कर, हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार दिया गया। श्री भूप सिंह पुत्र भंवराराम निवासी मलकीसर तहसील लूणकरणसर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बीकानेर द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद कर निर्धारित मात्रा से अधिक संग्रह, बेचान एवं परिवहन आदि कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी 1. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** अतः जब्तशुदा अवैध 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक ड्रम, एक छोटा गेलन व एक पिकअप वाहन आरजे 13 जीबी 7225 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि दिनांक 16.05.2023 को रात्रि को दौराने गश्त अप्रार्थी को किसी प्रकार से ना तो रोका गया एवं ना ही बनवाली के पास, ऐसी कोई घटना घटी। अप्रार्थी द्वारा ना तो डीजल लाता हुआ रात्रि को पाया गया और ना ही डीजल रहा हैं दिनांक 17.05.2023 को 2400 लीटर केमीकल परिवहन करते वक्त रोका गाय एवं एक अन्य वाहन को भी रोका गया, जिसमें डीजल को सम्मलित करते हुए अप्रार्थी को प्रकरण में आरोपित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त प्रकरण में यदि अप्रार्थी को मौके पर डीजल परिवहन करते अथवा विक्रया किया गया होता तो इस संबंध में प्रार्थी का विधिक कर्तव्य था कि वह प्रकरण को सही व निश्चित तरीके से श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत करता। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा समस्त कार्यवाही विधि के विधानों को दरकिनार करते हुए की है, जिससे ना तो प्रार्थी द्वारा पकडा गया पदार्थ के सम्बन्ध में ... सेम्पल भी लिया गया है बल्कि तत्पश्चात् जो कार्यवाही की गई है वह परिवाद पेश करने व प्रसंज्ञान के पश्चात की गई कार्यवाही है, जो दूषित कार्यवाही की श्रेणी में आती हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सव्यय खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि परिवाद विधि की पालना को ध्यान में रखकर पेश नहीं किया गया है एवं विधि विरूद्ध अप्रार्थी का वाहन रोक रखा है, जबकि भेजा गया सैम्पल अप्रार्थी के वाहन से सम्बन्धित नहीं है, ना ही नियमानुसार अप्रार्थी के सहयोग से लिया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सव्यय खारिज योग्य है।

इसके **विपरीत विभागीय प्रतिनिधि** का कथन है कि मौके पर अप्रार्थी भूपसिंह से गांव बनवाली तहसील सादुलशहर में पिकअप गाड़ी संख्या आरजे 13 जीबी 7225 को रोक कर जांच की गई। उक्त पिकअप गाड़ी संख्या आरजे 13 जीबी 7225 मे चालक भूप सिंह, 11 बडे ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल/पेट्रोल) तथा एक छोटी गैलन में लगभग 35 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मिला। चालक भूप सिंह द्वारा मौके पर भूप सिंह के नाम से दो बिल संख्या क्रमशः 9452 व 9450 प्रस्तुत किया, जिनमें 2800 लीटर (1400 लीटर + 1400 लीटर) डीजल दर 88.11/– रूपये से 123354/– रूपये प्रति बिल प्रस्तुत किया गया। मौके पर प्रस्तुत बिल मैसर्स शेरगढ़ फिलिंग स्टेशन के है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाहन आरजे 13 जीबी 7225 में डीजल की मात्रा 2500 लीटर से अधिक है तथा एक छोटे गैलन में पेट्रोल की मात्रा 30 लीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 07.06.2023 को सुनवाई के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जब्तशुदा डीजल की एफएसएल रिपोर्ट करवाने हेतु निवेदन करने पर, श्रीमानजी के आदेशानुसार एफएसएल रिपोर्ट करवाई गई थी तथा दिनांक 10.07.2023 को अप्रार्थी की उपस्थिति में एफएसएल रिपोर्ट हेतु दिनांक 19.07.2023 को उपस्थित हेतु नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उसके उपस्थित न होने पर दिनांक 24.07.2023 को पुनः जारी किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक (रसायन), क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर (राज.) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15.01.2024 में अप्रार्थी भूप सिंह से पकड़ा गये पेट्रोलियम पदार्थ के डीजल एवं पेट्रोल होने की पुष्टि की है। इसलिए अप्रार्थी का केमीकल परिवहन करने यह कथन स्वीकार करने योग्य है। अप्रार्थी ने केमीकल परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये है।

उनका आगे यह भी कथन था कि जब्तशुदा वाहन को राजसात करने की एवज में वाहन जब्ती दिनांक का बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

उनका आगे कथन था कि भूपसिंह पुत्र भंवराराम द्वारा 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल पंजाब से पिकअप वाहन संख्या आरजे–13 जीबी–7225 बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पत्र के परिवहन कर कब्जे में रखकर पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण व विक्रय का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी **मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन** किया है। इसलिए जब्तशुदा 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल व 11 प्लास्टिक ड्रम, एक छोटा गैलन व एक पिकअप वाहन संख्या आरजे–13 जीबी–7225 को राजसात किया जाकर, वाहन राजसात की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

मैने, विभागीय प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र एवं अप्रार्थी भूपसिंह के अधिवक्ता **श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए** के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी,

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 16.05.2023 को रात्रि गश्त व सूचना अनुसार समय 9:30 बजे गांव बनवाली तहसील सादुलशहर में 01 सफेद पिकअप गाड़ी संख्या आरजे 13/जीबी 7225 को गांव बनवाली मेन बाजार में जांच हेतु रोका गया। पकड़े गये वाहन में 11 बड़े प्लास्टिक ड्रम क्षमता प्रति ड्रम 250 लीटर के तथा 01 छोटा गेलन क्षमता 35 लीटर का रखा पाया गया। वाहन में उपस्थित व्यक्ति भूप सिंह पुत्र भंवरराम ने स्वयं को वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7225 का चालक बताया। वाहन चालक भूप सिंह पुत्र भंवरराम से वाहन में रखे ड्रमों के बारे में पूछने पर उसने ड्रमों व गेलन में पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना बताया। वाहन चालक भूपसिंह पुत्र भंवरराम ने यह पेट्रोलियम पदार्थ मै. शेरगढ़ फीलिंग स्टेशन, शेरगढ़–वरियाम खेड़ा रोड गावं शेरगढ से खरीदकर लाना बताया। श्री भूपसिंह ने दो डीजल बिल 1400–1400 लीटर कुल 2800 लीटर के दिखाये जो पेट्रोल पंप शेरगढ़ फीलिंग स्टेशन शेरगढ़–वरियाम खेडा रोड गांव शेरगढ से जारी थे, जिनका बिल नं. 9450 व 9452 दिनांक 16.05.2023 दर्शाया हुआ थे। मौके पर छोटे गेलन में पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन में कुल 11 ड्रमों में 2730 लीटर डीजल इन प्लास्टिक ड्रमों में होना पाया गया। मौके पर वाहन में पाये गये एक छोटा गेलन पेट्रोलियम से भरा पाया गया। भौतिक सत्यापन पर एक छोटे गेलन में कुल 35 लीटर पेट्रोल होना पाया गया। इसके अतिरिक्त वाहन के ईंधन टैंक में उपलब्ध डीजल नहीं मापा जा सका। पकड़े गये वाहन चालक द्वारा 2800 लीटर डीजल का बिल दिखाया गया, परन्तु मौके पर 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोलियम होना ही पाया गया। जो कि **केन्द्र सरकार के आदेश पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2 (आई) का स्पष्ट उल्लंघन है।** श्री भूप सिंह पुत्र भंवरराम निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मलकीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर से बरामद 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक ड्रम, एक छोटा गेलन व एक पिकअप वाहन आरजे 13 जीबी 7225 को जब्त कर श्री जयपाल पुत्र मनीराम चक 06 बीएनडब्ल्यू गांव बनवाली तहसील सादुलशहर (उचित मूल्य दुकानदार) को सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा तैयार कर, हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार दिया गया। श्री भूप सिंह पुत्र भंवराराम निवासी मलकीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर द्वारा अवैध पेट्रोलिमय पदार्थ की खरीद कर निर्धारित मात्रा से अधिक संग्रह, बेचान एवं परिवहन आदि कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी 1. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** अतः जब्तशुदा अवैध 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक ड्रम, एक छोटा गेलन व एक पिकअप वाहन आरजे 13 जीबी 7225 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी भूप सिंह पुत्र भंवराराम पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के विपरीत कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से इन्कार करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि बिल नं. 9452 दिनांक 16.05.2023 – भपूसिंह के नाम 1400 लीटर डीजल, बिल नं 9450 दिनांक 16.05.2023–भूपसिंह के नाम 1400 लीटर के है। उक्त दोनों बिल अप्रार्थी भूप सिंह द्वारा शेरगढ फिलिंग स्टेशन, शेरगढ़ – वरयाम खेड़ा रोड गांव शेरगढ़, अबोहर, पंजाब से अवैध रूप से परिवहन कर लाये पेट्रोल/डीजल के है और अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए केमिकल बताया जा रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित बहस के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए केमिकल बताया जा रहा है जो सही प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार भूप सिंह के कब्जे से उसके वाहन में निर्धारित सीमा 2500 लीटर डीजल अधिक डीजल अर्थात 2730 लीटर डीजल व 30 लीटर पेट्रोल से अधिक पेट्रोल 35 लीटर पेट्रोल प्राप्त हुआ है। **चूंकि अप्रार्थी भूप सिंह के** पास उक्त **मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 **के** तहत जारी **1. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का** विनियमन **और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम [illegible] भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(अ[illegible]) का [illegible] उल्लंघन किया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी भूप सिंह [illegible] पेट्रोल **क्रय/विक्रय/भण्डारण** /परिवहन **करने व कब्जे में रखने का [illegible] वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही** किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

विलायकों के वर्गीकरण के **सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण**

(12) पत्रांक : पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बागी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गं छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

....

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक निदेशक (रसायन), क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर (राज) द्वारा दिनांक 15.01.2024 को प्रेषित रिपोर्ट निम्नानुसार है:

RESULT OF EXAMINATION

On Chemical analysis : -

The liquid sample contained in the bottle marked **ए** confirmed the BIS **specification of Diesel** (IS 1460 : 2017) in respect of Distilation Characteristics, Density at 15^0C, Kinematic Viscosity at 40^0C and Flash Point. The Density at 15^0C and flash Point of the sample were found to be 0.8310 and **38^0C respectively.**

The liquid sample contained in the bottle marked **डी** confirmed the BIS **specification of Petrol** (IS – 2796:2017) in respect of Distillation Characteristics and Density at 15^0C. **The Density at 15^0C** of the sample was found to be 0.7550

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी भूप सिंह द्वारा 35 लीटर पेट्रोल एवं 2730 लीटर डीजल जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त भूप सिंह से जब्तशुदा उक्त वाहन पिकअप संख्या **RJ-13-GB-7225** मय 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.16 16:03:01
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक ड्रम, एक छोटा गैलन एवं एक पिकअप संख्या RJ-13-GB-7225 भी राजसात किये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 12.10.2023 के अनुसार भूपसिंह के वाहन संख्या RJ-13-GB-7225 का अनुमानित बाजार भाव 5.00 लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 4.50 लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमिनल पैटीशन संख्या 100/2022 अनवान् कनकश्री कैमिकल्स बनाम स्टेट में निर्णय दिनांक 13.12.2022 से राशि 3.20 लाख [illegible] जमा करवाने पर ही राजसात किये गये वाहन को लौटाने के आदेश [illegible] है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त दोनों निर्णयों के प्रकाश में वाहन के सम्बन्ध में लगाई गई जुर्माना राशि क्रमशः 4.50 लाख रूपये जमा करवाने पर ही लौटाया जा सकता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पश्चात वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि उक्त प्रकरण में 2730 लीटर डीजल व 35 लीटर पेट्रोल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 7225 राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन पर 4.50 लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। इस प्रकरण से उक्त वैट सम्बन्धी कार्रवाई को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखी जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:03:01 IST
Reason: SelfAttested